कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डितदीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

क्रमांकः– एफ–6 (   ) आ.राज. (स.प्र.)/ननिज/2014/ 1160 दिनांकः– !!

नीलामी सूचना

नगर निगम जयपुर सीमा क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर निम्न विवरण में उल्लेखित यूनिपोल एवं कियोस्क (बिजली के पोलों पर लगने वाले छोटे बोर्ड), ट्राईऐंग्यूलर साईनेज, निर्मित सुलभ शौचालय, निर्मित यातयात पुलिस गुमटियां एवं छतरियां सूची में अंकित स्थानों पर संवेदक द्वारा नई विज्ञापन साईट लगाने/निर्मित विज्ञापन साईटों पर विज्ञापन करने एवं संधारण हेतु, खुली नीलामी लाल कोठी मुख्यालय, ग्राउन्ड़ फ्लोर पर कमरा नं. 104 के अन्दर की जायेंगी।

नीलामी दिनांक 28.02.2014 प्रातः 11:00 बजें से सायं 5.00 बजे तक की जावेगी, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	जोन का नाम	दिनांक	अमानता राशि
1.	यूनिपोल– मोती डूंगरी जोन, सिविल लाईन जोन, विद्याधर नगर जोन, मानसरोवर जोन, सांगानेर जोन, आमेर जोन, हवामहल जोन (पूर्व)	28.02.2014	16'X8' साईज के यूनिपोल के 15,000/– रू. (पन्द्रह हजार रू.) प्रति साईट व 30'X15' साईज के यूनिपोल के 25,000/– रू. (पच्चीस हजार रू.) प्रति साईट
2.	निर्मित सुलभ शौचालय पर विज्ञापन एवं संधारण		रूपये 15000/– प्रति सुलभ शौचालय
3.	ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (रोड़ आईलैण्ड पर)		ट्राईऐंग्यूलर साईनेज प्रति (रोड़ आईलैण्ड पर) के 5,000 /– रू. (पांच हजार रू.)
4.	निर्मित यातायात पुलिस गुमटियां एवं छतरियों पर विज्ञापन व संधारण		पुलिस गुमटीयों एवं छतरियों हेतु मोतीडूंगरी जोन रूपये 5 लाख, सविल लाईन जोन रूपये 2 लाख, विधाधर नगर जोन रूपये 1.5 लाख, सांगानेर जोन रूपये 1 लाख, मानसरोवर जोन रूपये 2 लाख, हवामहल जोन (पूर्व)रूपये 2 लाख, हवामहल जोन (पश्चिम) रूपये 75 हजार, आमेर जोन रूपये 75 हजार मात्र।
5.	आमेर जोन – कियोस्क (बिजली के पोलों पर लगने वाले छोटे बोर्ड)		आमेर जोन – कियोस्क (बिजली के पोलों पर लगने वाले छोटे बोर्ड) के लिए अमानता एक लाख रूपये

नीलामी की प्रमुख शर्तें :–

1. उपरोक्त यूनिपोल एवं कियोस्क (बिजली के पोलों पर लगने वाले छोटे बोर्ड), ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (रोड़ आईलैण्ड पर), निर्मित सुलभ शौचालय, निर्मित यातयात पुलिस गुमटियां एवं छतरियां विज्ञापन लाईसेन्स जारी अवधि से (एक वर्ष तथा दो वर्ष नवीनीकरण) के लिए नीलाम किये जावेंगे।
2. इच्छुक बोलीदाता को बोली लगाने से पूर्व उपरोक्त विज्ञापन साईटें हेतु नगर निगम जयपुर द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार अमानता राशि नगद या बैंक ड्राफ्ट से नियमानुसार जमा करवाना अनिवार्य होगा व सभी शर्तो की पालना करनी होगी।
3. उच्चतम बोलीदाता फर्म को नीलामी की चौथाई राशि (1/4) तुरन्त मौके पर जमा करानी होगी।
4. उपरोक्त विज्ञापन साईटों की संख्या में कमी या बढोत्तरी की जा सकेगी।
5. नीलामी की अन्य शर्ते एवं उपरोक्त विज्ञापन साईटों, की सूची व शर्तो की जानकारी राजस्व अधिकारी (होर्डिंग्स), निगम मुख्यालय प्रथम तल, नई बिल्डिंग, कमरा नम्बर SW-205 में कार्यदिवस समय में देखी जा सकती है एवं सूचना पट्ट निगम मुख्यालय पर भी देखी जा सकती है अथवा नगर निगम जयपुर की वेबसाईट www.Jaipur.mc.org. Hoarding पर देखी जा सकती है।
6. नीलामी स्थल पर बोलीदाता के अतिरिक्त एक ही व्यक्ति साथ रह सकता है। एक से अधिक व्यक्ति साथ नहीं रहेंगे।
7. नीलामी स्थल पर बोलीदाता एवं उसका सहयोगी मोबाइल फोन नहीं रख सकेगा एवं मोबाइल का उपयोग नहीं करेगा।
8. किसी भी नीलामी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार नगर निगम जयपुर को होगा।

Sd/
आयुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर

प्रतिलिपि :–

1. जनसम्पर्क अधिकारी, नगर निगम जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त नीलामी सूचना को प्रमुख राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन की व्यवस्था करें ।
2. प्रोग्रामर, नगर निगम जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त नीलामी सूचना को नगर निगम की वेबसाईट पर प्रदर्शित करावे।

आयुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर